

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिसूचना

संख्या-03/स्था0 शक्ति-03/2018-

(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-

श्री अरुण कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण को भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) की धारा-3 (जी) के अन्तर्गत बिहार राज्यपाल के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभार ग्रहण करने की तिथि से जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के रूप में भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु अधिनियम की धारा-11, 13, 15, 16 (6), 17, 19, 26 एवं 81 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

2. साथ ही श्री अरुण कुमार को पूर्व की प्रक्रियान्तर्गत भू-अर्जन कार्यों के लंबित मामलों के सम्पादन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा-4, 5 (ए) 6 एवं 35 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

3. इसके लिए अलग से कोई अतिरिक्त राशि/भत्ता देय नहीं होगा।

4. एतद् सम्बन्धी पूर्व की निर्गत सभी अधिसूचनाएँ इस हद तक संशोधित समझी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अकबर अली),

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक -03/स्था0 शक्ति-03/2018-

(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-

ई-मेल

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, पटना/समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अकबर अली),

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक -03/स्था0 शक्ति-03/2018-

(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(अकबर अली),

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक -03/स्था0 शक्ति-03/2018-

(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि-आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेब-साइट पर प्रकाशनार्थ एवं सभी संबंधित को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(अकबर अली),

सरकार के अवर सचिव।